

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग सीकर

(Email id : ddicds.sikar@gmail.com , दूरभाष नम्बर : 01572 250016)

क्रमांक : 1764

दिनांक : 06.03.2025

विज्ञप्ति संख्या-02/2024-25

जिले की अधीनस्थ परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु संबंधित परियोजना कार्यालयों में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

क्र. सं.	परियोजना कार्यालय का नाम एवं ई-मेल आईडी	रिक्त पदों का विवरण मय आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
1.	दांतारामगढ़ cdpodtr@gmail.com	कार्यकर्ता- (1) खानडी की तलाई, (2) उदयपुरा, (3) धायलों की तलाई, (4) देवन्दा की ढाणी, (5) सामी 1, (6) बाज्यावास-2, (7) केरिया, (8) राजनपुरा सहायिका- (1) खानडी की तलाई, (2) चैनपुरा-1, (3) धायलों की तलाई, (4) देवन्दा की ढाणी, (5) खाटू-3, (6) बाज्यावास-2, (7) केरिया
2.	धोद cdpodhod@gmail.com	कार्यकर्ता- (1) गोखियों का मौहल्ला(अनु. जाति), (2) भौपा बस्ती, (3) एससी बस्ती(अनु. जाति), (4) हरीराम मंदिर अनोखू रोड(अनु. जाति), (5) शाहपुरा राजपुतों का मौहल्ला, (6) सांवलोदा पुरोहितान-2, (7) दूजोद-3 सहायिका- (1) गोखियों का मौहल्ला(अनु. जाति), (2) भौपा बस्ती, (3) एससी बस्ती(अनु. जाति), (4) हरीराम मंदिर अनोखू रोड(अनु. जाति), (5) शाहपुरा राजपुतों का मौहल्ला, (6) बाडलवास-1, (7) पूरा छोटी-2
3.	फतेहपुर cdporurfatehpur@gmail.com	कार्यकर्ता- (1) उत्तराध मौहल्ला बीबीपुर बड़ा, (2) ढाणी मुराद खा रोलसाहबसर (अल्पसंख्यक), (3) ढाणी काजी जलालसर (अल्पसंख्यक), (4) ढाणी कोलायत (रोसावा), (5) वार्ड नं. 44 (फतेहपुर शहर) सहायिका- (1) उत्तराध मौहल्ला बीबीपुर बड़ा, (2) ढाणी मुराद खा रोलसाहबसर (अल्पसंख्यक), (3) ढाणी काजी जलालसर (अल्पसंख्यक), (4) ढाणी कोलायत (रोसावा), (5) वार्ड नं. 44 (फतेहपुर शहर)
4.	खण्डेला asocdpokdl@gmail.com	कार्यकर्ता- (1) लुहारवास, (2) गुर्जरों की ढाणी, (3) ढाणी बांकली, (4) सीलपुर-1, (5) बीड़ा की ढाणी, (6) थोई-2, (7) केरपुरा-2, (8) भैरा (कोटडी) सहायिका- (1) लुहारवास, (2) गुर्जरों की ढाणी, (3) ढाणी बांकली, (4) सीलपुर-1, (5) बीड़ा की ढाणी, (6) वार्ड नं. 14 खण्डेला, (7) लाखनी प्रथम
5.	लक्ष्मणगढ़ cdpolachhmangarhsikar@gmail.com	कार्यकर्ता- (1) वार्ड नं. 12ए(लक्ष्मणगढ़ शहर)(अल्पसंख्यक), (2) वार्ड नं. 28ए (लक्ष्मणगढ़ शहर), (3) तूनवा-ए, (4) जेवली-ए, (5) कुमास जागीर-ए, (6) विजयपुरा, (7) पालडी तृतीय, (8) गनेडी प्रथम सहायिका- (1) वार्ड नं. 12ए(लक्ष्मणगढ़ शहर)(अल्पसंख्यक), (2) वार्ड नं. 28ए (लक्ष्मणगढ़ शहर), (3) तूनवा-ए, (4) जेवली-ए, (5) कुमास जागीर-ए, (6) मंगलूणा तृतीय (अल्पसंख्यक)
6.	नीमकाथाना cdponkt1991@gmail.com	कार्यकर्ता- (1) ढाणी खातियान (हरजनपुरा), (2) मंगलपुरा, (3) खाल्डा (भराला), (4) भोमगढ़, (5) ढाणी चिमन सिंह (इमलोहा) सहायिका- (1) ढाणी खातियान (हरजनपुरा), (2) मंगलपुरा, (3) खाल्डा (भराला), (4) भोमगढ़, (5) ढाणी चिमन सिंह (इमलोहा), (6) चला-सी, (7) चला-डी, (8) नृसिंहपुरी, (9) पुरानाबास-ए, (10) नयाबास-ए (अनु. जनजाति), (11) वार्ड नं.1 (नया वार्ड नं.7) नीमकाथाना शहर, (12) काचरेड़ा, (13) भोजमेड
7.	पिपराली cdpopiprali0@gmail.com	कार्यकर्ता- (1) भामूओं की ढाणी, (2) बालाजी का नाडा, (3) गीदाणा जोहड़ा सहायिका- (1) भामूओं की ढाणी, (2) बालाजी का नाडा, (3) गीदाणा जोहड़ा
8.	सीकर शहर cdposikarcity@gmail.com	कार्यकर्ता- (1) 17-6 (नया वार्ड नं. 43), (2) 35-1 (नया वार्ड नं. 12) (अनु. जाति), (3) 32-1 (नया वार्ड नं. 8), (4) 45-8 (नया वार्ड नं. 64)(अल्पसंख्यक) सहायिका- (1) 16-2 (नया वार्ड नं. 44) (अल्पसंख्यक), (2) 13-4 (नया वार्ड नं. 25) (अल्पसंख्यक), (3) 17-6 (नया वार्ड नं. 43), (4) 45-8 (नया वार्ड नं. 64)(अल्पसंख्यक)
9.	श्रीमाधोपुर cdpo.srimadhopur2000@gmail.com	कार्यकर्ता- (1) रा.उ.प्रा.वि कोदुवाला (मऊ), (2) आमावाली (रतनपुरा), (3) रा.प्रा.वि. खुर्मपुरा, (4) कुलडा का टीबा (अरनिया), (5) गोलिड़ा जोहड़ा (अनतपुरा), (6) केरली, (7) पृथ्वीपुरा ए सहायिका- (1) रा.उ.प्रा.वि कोदुवाला (मऊ), (2) आमावाली (रतनपुरा), (3) रा.प्रा.वि. खुर्मपुरा, (4) कुलडा का टीबा (अरनिया), (5) गोलिड़ा जोहड़ा (अनतपुरा), (6) गुरुकुल कॉलोनी (अजीतगढ़)(अनु.जाति), (7) जगदीशपुरी (अजीतगढ़), (8) मानगढ़ (9) दारुवाली, (10) वार्ड नं. 07 श्रीमाधोपुर शहर

1. ग्रामीण क्षेत्र में महिला जिस आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उसके राजस्व ग्राम की तथा शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र के वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थान के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।
2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
3. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदक की आयु 18-35 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा एवं विशेष योग्यजन (गति आधारित) के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी।
4. आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने सम्बन्धी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना आवश्यक है।
5. विधवा हेतु प्रमाण-पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र तथा आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
6. तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम न्यायालय से जारी डिक्री/आदेश की प्रति तथा आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
7. विभिन्न पदों के लिए चयन हेतु विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 के अनुसार मूल्यांकन का एक मानदण्ड निर्धारित है जिसे सम्बन्धित परियोजना कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है। संलग्न दस्तावेजों के आधार पर विभागीय परिपत्र अनुसार अंक निर्धारित कर वरीयता सूची से चयन किया जावेगा।
8. यदि किसी आवेदक के दस्तावेज जांच के दौरान जाली/फर्जी/कूटरचित पाया जाता है तो ऐसे आवेदक का आवेदन पत्र तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जायेगा तथा ऐसा आवेदक भविष्य में भी मानदेयकर्मी हेतु चयन का पात्र नहीं होगा।
9. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक 28046 दिनांक 06.05.2022 के अनुसार आर्थिक कमजोर वर्गों (EWS) के व्यक्तियों को Income and Asset Certificate एक वर्ष के लिए मान्य होंगे। EWS के जारी प्रमाण पत्र आवेदक महिला का EWS का प्रमाण पत्र मय सत्यापित शपथ-पत्र आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि से 3 वर्ष पूर्व तक के ही स्वीकार किये जा सकेंगे एवं इसके संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
10. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमी लेयर के जारी प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। (क्रिमी लेयर में नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रिमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त भी अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे नॉन क्रिमी लेयर संबंधी सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाये, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए किया जा सकता है।) अर्थात् आवेदक महिला का पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमीलेयर का प्रमाण पत्र मय सत्यापित शपथ-पत्र आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि से 3 वर्ष पूर्व तक के ही स्वीकार किये जा सकेंगे। इसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य निर्देश लागू होंगे।
11. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जायेगा।
12. आवेदन पत्र के साथ (1) शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी समस्त अंकतालिका/प्रमाण पत्र (2) सेकण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (3) बीएड/एनटीटी/डीपीएसई/बीएसटीसी/डीएलएड डिप्लोमा (यदि लागू हो तो) (4) मतदाता पहचान पत्र/राशनकार्ड/आधार/जनआधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र (5) अनुसूचित जाति/जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग/दिव्यांग जन होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (6) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालनागृह कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी/साथिन के रूप में परिपत्रानुसार कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (7) एएनएम/जीएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (8) RSCIT/PGDCA के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (9) विधवा/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) इत्यादि दस्तोवेजों की स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्यतः संलग्न की जावे।
13. जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/जन जाति/अल्प संख्यक वर्ग का है तो उन केन्द्रों के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जायेगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनबाड़ी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जायेगी।
14. आवेदन फार्म संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। **योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र मय दस्तावेज दो प्रतियों में सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः दिनांक 07.04.2025 सांय 5:00 बजे तक जमा करा सकेंगे।** अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भेजे जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगे।
15. आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन जमा करवाये जाने के पश्चात किसी भी प्रकार की कमी पूर्ति हेतु संलग्न किये जाने से वंचित दस्तावेज को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर विज्ञप्ति में वर्णित आवेदन जमा करवाये जाने के अन्तिम तिथि तक आवेदन पत्र में सम्मिलित करवाया जा सकेगा, परन्तु अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार के वसति के माग नहीं किया जायेगा।
16. इस सम्बन्ध में चयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी उपनिदेशक कार्यालय/सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है तथा चयन प्रक्रिया विभागीय वेबसाइट wcd.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। कार्यकर्ता/सहायिका चयन संबंधी विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 एवं दिनांक 01.03.2024 में प्रदत्त दिशा-निर्देशानुसार की जाएगी।
17. सभी आवेदक आवेदन पत्र की प्राप्ति रशीद अवश्य प्राप्त करें।

Signature valid
Digitally signed by Sunam Pareek
Designation Deputy Director
Date: 2025.03.06 10:25:14 IST
Reason: Approver

(सुमन पारीक)
उपनिदेशक

क्रमांक : 1765-76

दिनांक : 06.03.2025

प्रतिलिपि :- निम्न का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. श्रीमान निदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, सीकर
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर
4. श्रीमान जनसम्पर्क अधिकारी, सीकर
5. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला सीकर
6. श्रीमान ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त जिला सीकर
8. आयुक्त नगर परिषद, जिला सीकर
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका समस्त जिला सीकर ।
10. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त जिला सीकर को भेजकर लेख है कि परिपत्रानुसार उक्त रिक्त पदों के चयन की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें । साथ ही परियोजना एवं ग्राम पंचायत स्तर पर नियमानुसार विज्ञप्ति का प्रचार प्रसार करवाना सुनिश्चित करें।
11. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
12. कार्यालय प्रति

उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
सीकर

Signature valid

Digitally signed by Surjan Pareek
Designation: Deputy Director
Date: 2025.03.06 10:25:14 IST
Reason: Approved